

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक...21/10/25

प्र०-I-रा०(प्र०)-03/2023-5848/एम० सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी
स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन
सेवा के विभिन्न सेवा संवर्गों में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत खान एवं भूतत्व विभाग के
प्रोन्नति के राजपत्रित/अराजपत्रित पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने के
निमित्त विचार करने के लिए निम्नांकित प्रकार के स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|--|------------|
| (i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/
सचिव अथवा विभागाध्यक्ष
खान एवं भूतत्व विभाग। | - अध्यक्ष। |
| (ii) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, जो
संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव से
अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो। | - सदस्य। |
| (iii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा
मनोनीत पदाधिकारी। | - सदस्य। |
| (iv) श्री सुशांत कुमार, संयुक्त सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, | - सदस्य। |
| (v) मो० इमरान अंसारी,
खनिज विकास पदाधिकारी, शिवहर। | - सदस्य। |

2. इस अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विभागीय स्क्रीनिंग समिति/स्क्रीनिंग समिति
की अनुशंसा के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत प्रोन्नति के उच्चतर पद के
प्रभार (वेतनमान सहित) से संबंधित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक -प्र०-I-रा०(प्र०)-03/2023-5848/एम, पटना, दिनांक 21/10/25
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक -प्र0-I-रा0(प्रो0)-03/2023-5848.....एम, पटना, दिनांक 21/10/25.....
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अवर सचिव, वित्त विभाग/श्री सुशांत
कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/मो0 इमरान अंसारी,
खनिज विकास पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक -प्र0-I-रा0(प्रो0)-03/2023-5848.....एम, पटना, दिनांक 21/10/25.....
प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को
सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक -प्र0-I-रा0(प्रो0)-03/2023-5848.....एम, पटना, दिनांक 21/10/25.....
प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/
मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट
अपलोड करने हेतु), खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।